न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 15 / 2022

1 जयराम पुत्र चुन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 कमलेश पुत्र चुन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदनलाल पुत्री श्री बदरू जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल वार्ड नम्बर 29 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीमती रामप्यारी स्त्री श्री श्योकरण पुत्री श्री बदरू जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल वार्ड नम्बर 29 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 श्रीमती सज्जना स्त्री श्री चन्दगीराम पुत्री श्री बदरू जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 श्रीमती बिमला स्त्री श्री सहीराम पुत्री श्री बदरू जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीमती चनणी देवी धर्मपत्नी स्व. चुन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 बसन्ती पुत्री चुन्नाराम पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 सन्तोष पुत्री चुन्नाराम पत्नी हरफुल सिंह जाति मेघवाल निवासी निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 सुशीला पुत्री चुन्नाराम पत्नी मामचन्द जाति मेघवाल निवासी निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9 आचुकी पुत्री चुन्नाराम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति मेघवाल निवासी नूआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

10 बनवारी पुत्र भोलाराम
11 नानड़ पुत्र भोलाराम
12 बाबूलाल पुत्र भोलाराम
13 रोहताश पुत्र भोलाराम
14 विनोद पुत्र भोलाराम
15 फूली देवी पत्नी स्व. सागर
16 धर्मपाल पुत्र स्व. सागर
17 ओमप्रकाश पुत्र स्व. सागर
18 प्रताप पुत्र स्व. सागर
19 मुकेश पुत्र स्व. सागर
समस्त जाति मेघवाल निवासी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
20 परमेश्वरी पुत्री स्व. सागर पत्नी भगुताराम जाति मेघवाल निवासी डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
21 मन्जु पुत्री स्व. सागर पत्नी ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
22 गिन्नी पुत्री स्व. सागर पत्नी जीवणराम जाति मेघवाल निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
23 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
दिनांक 24.01.2022 बमुकदमा उनवानी श्रीमती कमला देवी
बनाम श्रीमती चनणी आदि मु.नं. 307/2011

उपस्थिति :

1. श्री यशवीर लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रमेश, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री अनिल कुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 9/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 307/2011 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 643 रकबा 3.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 942 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 943 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 944 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 945 रकबा 0.99 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 6.22 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक वाद बाबत घोषणार्थ विभाजन दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 24.01.2022 को निर्णित कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादियागण (रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4) के पिता बदरूराम का देहान्त दिनांक 18.05.1979 को तथ माता बनारसी देवी का देहान्त 21.02. 1981 को हो गया था और वादीयागण के पिता बदरूराम के फौत होने के 17 साल पश्चात विरासतन नामान्तकरण संख्या 320 ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से भरा गया उसमें वादियागण की मौखिक सहमति से अपीलान्टस के नाम करवाया गया था उस समय वादियागण बालिग व शादीशुदा थी अगर रिकार्ड गलत होता तो वादियागण उसी समय उसको दुरूस्त करवा लेती और उक्त नामानतकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही या चाराजोही करती इस बिन्दु पर गौर न फरमाकर निर्णय पारित करने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। विरासतन इन्काल संख्या 320 दिनांक 27.08.1996 को ग्राम पंचायत बजावा में मजमें आम में इस आशय का अंकन करते हुए कि नामान्तकरण आज ग्राम पंचायत में पेश हुआ तथा पंचायत मिटिंग में सर्व सम्मति से बदरूराम की भूमि जयराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

व कलेश (रेस्पोडेन्टस) पुत्र चूनाराम के नाम से स्वीकार किया था तथा यह भी अंकन किया था कि सागर व भोलाराम का बदरूराम का विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ था जिसकी जानकारी सभी ग्रामवासियों व वादियागण का काफी वर्षों पूर्व से ही थी यदि वादियागण का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा बनता तो व. उक्त नामान्तकरण की अपील सक्षम न्यायालय में पेश करती। क्योंकि वादियागण को उक्त नामान्तकरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त थी तथा वादियागण की मौखिक स्वीकृति भी दी हुई थी इस प्रकार उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्टस के पिता चूनाराम के जीवनकाल में ही भरा गया था तथा तस्दीक भी किया गया था इसी अनुसार उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड कायम हुआ है तथा मौके पर भी बदरूराम की मृत्यु सन 1979 के बाद से ही उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त पहले तो रेस्पोडेन्टस के पिता चूनाराम का था तथा चूनाराम के देहान्त के बाद रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त चला आ रहा है। कब्जा काश्त को लेकर मौके पर कोई विवाद नहीं है। इस बिन्दु पर गौर न फरमाकर निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस का शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त 42 वर्षों से चला आ रहा है रेस्पोडेन्टस का उक्त कब्जा पहले उनके पिता चूनाराम का था तथा उसकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टस के पास है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना मौके व कब्जे की रिपोर्ट मंगवाये निर्णय पारित किय है जो मौके व कब्जे के विपरित है। इस बिन्दु पर गौर नही कर निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। वादियागण द्वारा विवादित भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक बड़ागांव के रहने होने के बाद भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार था इस बिन्दु पर भी ध्यान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं करने पर भी भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण की जवाबदेही को सही नहीं मानने में गलती कानूनी की है। उपखण्ड अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 4 के अधिकारों का निर्धारण इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों (समरी प्रोसिडिंग) के माध्यम से नहीं हो सकता है बल्कि उन्हें नियमित राजस्व वाद के माध्यम से ही राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस कारण भी आज्ञा विचारण न्यायालय पूर्णतया कानून से विपरित होने से निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया कानूनी आधारों के विपरित एवं मौके की वास्तविक स्थिति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 24.01.2022 प्रकरण संख्या 307/2011 निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि दस्तावेज प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 के अनुसार बदरू पुत्र सुरजा 1/4 का खातेदार था। बदरू के फौत होने के बाद नामांतकरण संख्या 320 के अनुसार बदरू पुत्र सुरजा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम भर दिया। जो विधि के नियमों के विरूद्ध था। वादियागण बदरू पुत्र सुरजा के प्राकृतिक वारिसान है। प्रदर्श 10 व 11 के अनुसार वादियागण बदरू के 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादियागण बदरू पुत्र सुरजा के हिस्से की वारिसान है। जो प्रदर्श 10 से 11 से साबित है। वादियागण के पिता उक्त वर्णित भमि के 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा वादियागण वारिस होने के नाते भूमि का विधिवत विभाजन करवाने की अधिकारी है। प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 से साबित कि वादिया के पिता उक्त भूमि के 1/4 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार थे। अतः मौके पर अनावश्यक विवाद ना बढ़े इस कारण वादियागण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दस्तावेज प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 के अनुसार बदरू पुत्र सुरजा 1/4 का खातेदार था। बदरू के फौत होने के बाद नामांतकरण संख्या 320 के अनुसार बदरू पुत्र सुरजा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के नाम भर दिया। जो विधि के नियमों के विरूद्ध था। वादियागण बदरू पुत्र सुरजा के प्राकृतिक वारिसान है। प्रदर्श 10 व 11 के अनुसार वादियागण बदरू के 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादियागण बदरू पुत्र सुरजा के हिस्से की वारिसान है। जो प्रदर्श 10 से 11 से साबित है। वादियागण के पिता उक्त वर्णित भमि के 1/4 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

है तथा वादियागण वारिस होने के नाते भूमि का विधिवत विभाजन करवाने की अधिकारी है। प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 से साबित कि वादिया के पिता उक्त भूमि के 1/4 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार थे। अतः मौके पर अनावश्यक विवाद ना बढ़े इस कारण वादियागण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)